सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 741 राँची, बुधवार 1 अगस्त, 2018 (ई०)

उद्योग विभाग

संकल्प

1 अगस्त, 2018

विषयः सर्वश्री भारी अभियंत्रण निगम लि० के पुनर्वास के पष्चात JBVNL द्वारा दिनाँक 1 सितम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2010 तक के बकाये विद्युत विलम्ब भुगतान अधिभार (Delay Payment Surcharge) की राशि रू० 116.42 करोड़ (एक अरब सोलह करोड़ बयालीस लाख रूपये) के लिए JBVNL द्वारा राज्य सरकार को देय ऋण वापसी एवं उस पर देय ब्याज से समायोजन करने के संबंध में ।

संख्या- 1985/7/उ०नि०(विविध)एच०ई०सी०-17/2009-- महामहिम राज्यपाल की परामर्शी परिषद की दिनाँक 13 फरवरी, 2009 को सम्पन्न बैठक में सर्वश्री एच०ई०सी०लि०, धुर्वा, राँची के लिए पुनर्वास प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई थी । उपरोक्त स्वीकृति के आलोक में सर्वश्री भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची के लिए पुनर्वास प्रस्ताव की स्वीकृति ज्ञापांक 400, दिनाँक 20 फरवरी, 2009 द्वारा भारत सरकार को संसूचित की गई। इस पत्र की कंडिका-1.i में निम्न प्रावधान अंकित हैः-

''झारखण्ड राज्य विद्युत पर्षद की सर्वश्री भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची के विरूद्ध 31 मार्च, 2006 तक की बकाया की राशि मूल रूप से रू० 3,06,37,41,626.00 की राशि थी तथा उस पर 31 अगस्त, 2008 तक के विलंब भुगतान अधिभार **(Delay Payment Surcharge)** की राशि रू० 5,47,05,03,858.00 हो गई है । इस कुल मूल राशि को उद्यतन विलंब भुगतान अधिभार **(Delay Payment Surcharge)** की राशि सहित पुनर्वास पैकेज के तहत माफ किया जाय । इस राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा एवं झारखण्ड राज्य विद्युत पर्षद को उक्त राशि का भुगतान किया जायेगा । झारखण्ड राज्य विद्युत पर्षद के द्वारा राज्य सरकार से पूर्व में लिये गये ऋण के वापसी के अंश के रूप में उक्त राशि को राज्य सरकार को तत्काल वापस कर दी जायेगी''।

2. उपरोक्त ज्ञापांक 400, दिनाँक 20 फरवरी, 2009 के क्रम में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को दिनांक 31 मार्च, 2006 तक मेसर्स एच०ई०सी० लि०, राँची द्वारा देय मूल बकाया राशि रू० 306.37 करोड़ एवं दिनांक 31 अगस्त, 2008 तक देय विलम्ब भुगतान अधिभार (DPS) राशि रू० 547.05 करोड़ रूपये अर्थात कुल राशि रू० 853.42 करोड का समायोजन वित्त विभाग के ज्ञापांक 70/बजट दिनाँक 10 मार्च, 2010 द्वारा किया गया ।
3. इस पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव सितम्बर, 2008 में तैयार किया गया था, जिसे अन्ततः दिनाँक 13 फरवरी, 2009 को स्वीकृत किया गया । इस प्रकार सितम्बर, 2008 से फरवरी, 2009 तक 06 माह का प्रक्रियात्मक विलम्ब उद्योग विभाग, झारखण्ड के स्तर पर हुआ । इसी प्रकार, मार्च, 2009 से मार्च, 2010 तक कुल 13 माह का प्रक्रियात्मक विलम्ब वित्त विभाग, झारखण्ड के स्तर पर समायोजन आदेश निर्गत करने में हुआ । इस प्रकार इस मामले में कुल 19 माह का प्रक्रियात्मक विलम्ब हुआ हैं । इस विलम्ब हेतु झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए विलम्ब भुगतान अधिभार (DPS) राशि के रूप में रूपये 116.42 करोड की मांग सर्वश्री एच०ई०सी०लि० से की गई है ।
4. पुनर्वास प्रस्ताव के अतिरिक्त DPS Waiver के समाधान हेतु उद्योग विभाग, झारखण्ड के आदेश ज्ञापांक 3454, दिनाँक 12 नवम्बर, 2012 द्वारा सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसमें समिति द्वारा स्वीकृत पुनर्वास के क्रम में वित्त विभाग के ज्ञापांक 70/बजट दिनाँक 10 मार्च, 2010 द्वारा समायोजित किए गए विलम्ब भुगतान अधिभार (DPS) के अतिरिक्त दिनाँक 1 सितम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2010 तक के DPS के माफी पर विचार कर अपनी अनुशंसा देगी ।

उक्त समिति द्वारा विभिन्न तिथियों में इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया ।

5. दिनाँक 16 मई, 2018 को अन्तिम बैठक में अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में अवगत कराया गया कि प्रक्रियात्मक विलम्ब के लिए सर्वश्री एच०ई०सी० लि० का कोई दोष प्रतीत नहीं होता है । सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यद्पि यह प्रक्रियात्मक विलम्ब है फिर भी DPS की राशि को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण दिनाँक 1 सितम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2010 तक की DPS की राशि रू० 116.42 करोड़ की मांग एच०ई०सी० से की जा रही है ।
6. अतः सर्वसम्मति से समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि इस DPS की राशि रू० 116.42 करोड़ का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाय एवं यह भी अनुशंसा की गई है कि नगद भुगतान की

बजाय इस DPS की राशि का समायोजन JBVNL द्वारा राज्य सरकार को देय ऋण वापसी तथा ब्याज की राशि से कर लिया जाय ।

7. अतः दिनाँक 16 मई, 2018 को आयोजित बैठक में समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2010 तक के विलम्ब भुगतान अधिभार (DPS) की राशि रू० 116.42 करोड़ (एक अरब सोलह करोड़ बयालीस लाख रूपये) मात्र का नगद भुगतान की बजाय राशि का समायोजन JBVNL द्वारा राज्य सरकार को देय ऋण वापसी तथा ब्याज की राशि से कर लिया जाय ।
8. उपर्युक्त संनिहित प्रस्ताव पर विभागीय संलेख ज्ञापांक 138 दिनांक 21 जुलाई, 2018 के क्रम में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनाँक 24 जुलाई, 2018 की मद संख्या-04 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),
सरकार के सचिव
उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 741 -- 50